पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक संशोधन सं.1316

थाना वाद सं वर्ष-1111 थाना-जिला- से उद्भुत।

==========

1. अरविंद कुमार प्रसाद, पुत्र-राजेंद्र प्रसाद

2. राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र-स्वर्गीय कौलेश्वर प्रसाद

3. बिंदु प्रसाद पत्नी- राजेंद्र प्रसाद

सभी ए-71, गुरुद्वारा रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, थाना-उत्तम नगर, जिला-नई दिल्ली, पिन कोड No.-110059 के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

इसके विपरीत

1. बिहार राज्य

2. गीता प्रसाद, पुत्री-महेश्वर दास, एम. आई. डी.-287, लोहिया नगर, कंकड़बाग, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन-800020।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम - अधिनियम की धारा 29 के तहत याचिकाकर्ता पति के खिलाफ भरण-पोषण के साथ-साथ किराए के बदले में पत्नी (ओ.पी. नं. 2) को साझा घर में रहने की अनुमति देने का आदेश - आदेश था अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि पति (याचिकाकर्ता संख्या 1) पत्नी को समान स्तर का वैकल्पिक आवास प्रदान करेगा, ऐसा न करने पर उसे प्रति माह 5000 रुपये का भुगतान करना होगा, उसे अपनी आवासीय आवास की व्यवस्था के लिए -जो उस 4000 रुपये के अतिरिक्त होगा जो उसे परवरिश वाद संख्या 73 (एम) / 2007 में पारित आदेश के अनुपालन में आवेदिका (पत्नी) को मिल रहा है।

15 मई 1997 को शादी हुई थी - दो साल बाद 19 नवंबर 1999 को गौना हुआ - विपक्षी सं-2 अपने वैवाहिक घर आयी - पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498(ए) के तहत मुकदमा दायर किया - निचली अदालत ने पति को दोषी ठहराया - बाद में अपील में पति को बरी कर दिया गया - 21 अगस्त 2005 को पति ने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया - जिसे शुरू में खारिज कर दिया गया ट्रायल कोर्ट द्वारा - पति को अपील में तलाक की डिक्री मिली - गुजारा भत्ता के आदेश के खिलाफ, पत्नी द्वारा भी एक पुनरीक्षण दायर किया गया था और उस पुनरीक्षण में इस अदालत ने पति को अपने मासिक वेतन के एक तिहाई के बराबर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था जो पत्नी को नियमित रूप से मिल रहा है।

याचिकाकर्ता ने इस पुनरीक्षण में दलील दी कि वर्तमान में तलाक की डिक्री मंजूर होने के बाद उनके बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है - दरअसल ओ.पी. रिविज़न के मुकदमे मे इस अदालत आदेश के अनुसार विपक्षी सं - 2 (पत्नी) को प्रति माह 18000 रुपये मिल रहे हैं जो पति के वेतन का एक तिहाई है - इस पुनरीक्षण आवेदन में एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह शामिल है कि क्या विपक्षी सं - 2 (पत्नी) किसी भी राशि को पाने का हकदार है, महिला घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम की धारा 2(एस) के तहत साझा घर में उसके आवास का विकल्प के रूप मे १ - अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार, यह साबित करना ओपी नंबर 2 (पत्नी) के लिए बाध्य नहीं है कि विवाद के फैसले की तारीख पर घरेलू संबंध मौजूद थे - यदि कोई घरेलू संबंध था पूर्व मे किसी भी समय मे

और दोनों पक्ष एक साझा घर में एक साथ रहते थे, पीड़ित व्यक्ति या तो वैकल्पिक आवास या वैकल्पिक आवास के लिए किराए के बराबर धन पाने का हकदार है।

अभिनिर्धारित किया जाता है - ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस अदालत ने भी बरकरार रखा है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत को रद्द कर दिया जाता है - और वैकल्पिक आवास के लिए मौद्रिक राहत के आदेश की पुष्टि की जाती है ----

पुनिरीक्षण आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया|

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का आपराधिक संशोधन सं.1316

थाना वाद सं वर्ष-1111 थाना-जिला- से उद्भुत।

==========

1. अरविंद कुमार प्रसाद, पुत्र-राजेंद्र प्रसाद

2. राजेन्द्र प्रसाद, पुत्र-स्वर्गीय कौलेश्वर प्रसाद

3. बिंदु प्रसाद पत्नी- राजेंद्र प्रसाद

सभी ए-71, गुरुद्वारा रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, थाना-उत्तम नगर, जिला-नई दिल्ली, पिन कोड No.-110059 के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

इसके विपरीत

1. बिहार राज्य

2. गीता प्रसाद, पुत्री-महेश्वर दास, एम. आई. डी.-287, लोहिया नगर, कंकड़बाग, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना, पिन-800020।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता,

श्री गिरिधर गोपाल तिवारी अधिवक्ता,

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्रीमती. पुष्प सिन्हा, एपीपी

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

मौखिक निर्णय

तारीखः 23-01-2024

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान एपीपी को सुना।

2. **घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण के अधिनियम** (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रुप में वर्णित) **की धारा 29** के तहत एक अपीलीय आदेश तत्काल संशोधन में चुनौती के अधीन है।

3. यह उल्लेख करना उचित है कि विरोधी पक्ष नं 2 ने 2013 का घरेलू हिंसा का मामला संख्या 13 विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पटना के समक्ष दायर किया। मामले में रखरखाव के साथ-साथ किराए के बदले मौद्रिक राहत का आदेश यदि विरोधी पक्ष सं.2 को साझा घर में रहने की अनुमति है, निचली अदालत द्वारा पारित किया था। उक्त आदेश की पुष्टि अपीलीय अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश देते हुए की कि याचिकाकर्ता नं1 विरोधी पक्ष सं.2 को समान स्तर का वैकल्पिक आवास प्रदान करेगा। जिसमें विफल रहने पर वह रुपये 5,000/- प्रति माह की राशि आवासीय आवास की व्यवस्था करने के लिए उसे भुगतान करेगा। याचिकाकर्ता नं. 1 को आगे निर्देश दिया गया कि आवेदक को 4,000/- रुपये के अलावा 5,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाए जो आवेदक को 2007 के रखरखाव मामले संख्या 73 (एम) में पारित आदेश के अनुपालन में प्राप्त हो रहा है। उक्त आदेश तत्काल संशोधन में चुनौती के अधीन है।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया जाता है कि याचिकाकर्ता सं. 1 का विवाह विरोधी पक्ष सं.2 के साथ 15 मई, 1997 को संपन्न हुआ। शादी के दो साल बाद 19 नवंबर, 1999 को आम तौर पर *"गौना"* के नाम से जाना जाने वाला एक

समारोह आयोजित किया गया और विरोधी पक्ष सं. 2 अपने वैवाहिक घर चली गई। याचिकाकर्ता सं. 1 को कुछ समय उपरान्त फरवरी, 2006 में *"गौना"* के अनुष्ठान के बाद नौकरी मिली।

5. विरोधी पक्ष नं 2 ने कदमकुआं पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर पति/याचिकाकर्ता नं.1 और विरोधी पक्ष सं.2 के अन्य वैवाहिक संबंधी के खिलाफ धारा 498ए के तहत एक वाद दर्ज किया गया। निचली अदालत ने पति को भा.दं.स. की धारा 498ए के तहत अपराध हेतु दोषी ठहराया एवं अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया। पति ने एक अपील को प्राथमिकता दी जिसकी अनुमति दी गई और दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात, 21 अगस्त, 2005 को वर्तमान याचिकाकर्ता नं.1 पति ने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया, जिसे शुरू में 2005 के वैवाहिक मुकदमा संख्या 665 के रूप में दर्ज किया गया था। विरोधी पक्ष सं.2 द्वारा की गई प्रार्थना पर मामला पटना स्थानांतरित कर दिया गया था और 2007 के वैवाहिक मुकदमा संख्या 559 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। तलाक का मुकदमा शुरू में विरोध करने में खारिज कर दिया गया था। बर्खास्तगी के उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता सं। 1 इस न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। अपील को इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तलाक का आदेश विरोधी पक्ष सं.2 द्वारा की गई क्रूरता और यातना के आधार पर विरोध पक्ष सं2 द्वारा याचिकाकर्ता सं1 पर 15 मार्च, 2017 के आदेश के माध्यम से पारित किया गया। अपील करने के लिए 2017 की विशेष अनुमति (सी) संख्या (ओं) 16931 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष का मामला, जिसे कभी 18 जुलाई, 2017 को भी खारिज कर दिया गया था। तलाक की डिक्री देने के बाद याचिकाकर्ता नं1 ने दूसरी बार शादी की और उक्त शादी में उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। विरोधी पक्ष नं 2 ने दं.प्र.सं. की धारा 125 के तहत रखरखाव का मामला भी दायर किया और निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को रु. 4000- प्रति माह के दर से रखरखाव का भुगतान करने के लिए निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। रखरखाव के उक्त आदेश के खिलाफ विरोधी पक्ष सं. 2 इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी और उक्त पुनरीक्षण का निपटारा याचिकाकर्ता नं.1 को अपने मासिक वेतन के एक तिहाई के बराबर

राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए किया। याचिकाकर्ता नं.1 द्वारा विरोधी पक्ष सं.2 को उक्त राशि का नियमित रूप से हाथ में भुगतान करना जारी है।

6. ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया जाता है कि वर्तमान में याचिकाकर्ताओं और विरोधी पक्ष सं.2 के बीच तलाक की डिक्री उपरान्त कोई घरेलू संबंध नहीं है। दूसरा, चूंकि तलाक की डिक्री विरोधी पक्ष सं.2 द्वारा याचिकाकर्ताओं पर की गई शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आधार पर पारित की गई थी। यह याचिकाकर्ता नं.1 जो घरेलू हिंसा के अधीन है और विरोधी पक्ष सं.2 नहीं इसलिए, याचिकाकर्ता नं1 है सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री द्वारा घरेलू संबंध में नहीं है। यह निर्णायक रूप से साबित होता है कि याचिकाकर्ता नं1 शारीरिक और मानसिक यातना के अधीन था और इसलिए, वह मौद्रिक राहत के लिए मासिक भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। विद्वत न्यायाधीश ने अपील का निपटारा करते हुए गलत निर्णय दिया कि दं.प्र.सं की धारा 125 के तहत एक कार्यवाही में, विरोधी पक्ष नं 2 को रुपये 4000/- प्रति माह रुपये मिल रहे हैं। वास्तव में, विपरीत पक्ष सं.2 इस न्यायालय के आदेशानुसार रु. 18000 प्रति माह वर्तमान में 2 रुपये की राशि प्राप्त कर रहा है। जो याचिकाकर्ता संख्या1 के वेतन का एक तिहाई है। इसलिए, विरोधी पक्ष सं० 2 को उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत मैट्रिक राहत देने का बिल्कुल कोई कारण नहीं है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता के बीच घरेलू संबंध सं० 1 और विरोधी पक्ष सं० 2 के बीच घरेलू संबंध अलग हो गया है, विरोधी पक्ष सं० 2 याचिकाकर्ता सं. 1 से साझा परिवार के बदले में कोई मौद्रिक राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख पर पूरी सामग्री के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त अधिनियम के तहत निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत दोनों ने कानून में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि विरोधी पक्ष नहीं। 2 उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत पाने का हकदार है। अपीलीय अदालत ने दर्ज किया है कि विरोधी पक्ष सं. 2 रु.4, 000/- जो उसे दं.प्र.सं. की धारा

125 के अलावा रु.5000/- प्रति माह मौद्रिक राहत के रुप में पाने का हकदार है। के तहत मिल रहा है। उक्त आदेश धैर्यपूर्वक गलत है क्योंकि इस तथ्य के कारण कि विरोधी पक्ष सं.2 के आपराधिक संशोधन संख्या 188 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए लगभग रु.18,000/- प्रति माह मिल रहा है।

9. इस स्तर पर, निर्णय के लिए जो सवाल आता है वह यह है कि क्या विरोधी पक्ष सं० 2 **घरूलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 2(एस)** के तहत साझा घर में अपने आवास के विकल्प के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने का हकदार है। जो साझा परिवार को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः-

*" **2(एस)**। साझा परिवार का अर्थ है एक ऐसा परिवार जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहा है और इसमें ऐसा परिवार शामिल है चाहे वह पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, या उनमें से किसी के स्वामित्व में हो या किराए पर लिया गया हो, जिसके संबंध में पीड़ित व्यक्ति या प्रतिवादी या दोनों को संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, शीर्षक, ब्याज या समानता हो और इसमें ऐसा परिवार शामिल है जो संयुक्त परिवार से संबंधित हो सकता है जिसमें प्रतिवादी सदस्य हो, चाहे प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति को साझा घराने में कोई अधिकार स्वामित्व या ब्याज; हो"*

10. मान लीजिए, विरोधी पक्ष नं० 2 एक तलाकशुदा महिला है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता सं० 1 एवं विरोधी पक्ष नं० 2 के मध्य कोई वैवाहिक संबंध नहीं है। **घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 2(एफ)** घरेलू संबंधों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः-

*"**2(एफ)**- घरेलू संबंध का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो साथ रहते हैं या किसी भी समय साझा घराना में साथ रहे थे, जब वे समरक्तता, विवाह, या विवाह के प्रकृति के माध्यम से संबंधित हों या संयुक्त परिवार में पारिवारिक सदस्य के रुप में रह रहे हों। "*

11. इस प्रकार घरेलू संबंध साबित करने हेतु, विवाद ने निर्णय के तिथि को घरेलू संबंध मौजूद हैं, को साबित करने हेतु विरोधी पक्ष सं.2 पर बाध्यकारी नहीं है। यदि किसी भी समय घरेलू संबंध थे और पक्ष एक साझा घर में एक साथ रहते थे, तो पीड़ित व्यक्ति वैकल्पिक आवास या वैकल्पिक आवास के लिए किराए के बराबर धन प्राप्त करने का हकदार है।

12. मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से सहमत हूं कि क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री के बाद, पक्षों के बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है। लेकिन तलाक से पहले पक्षों के बीच घरेलू संबंध थे और यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि शादी के दो साल बाद और "गौना" के प्रदर्शन के बाद, विरोधी पक्ष सं2 अपने वैवाहिक घर आयी। मैंने पहले ही साझा घर की परिभाषा दर्ज कर ली है, इसका अर्थ है और एक ऐसे घर में सुधार करना **जहां पीड़ित व्यक्ति रहता है या किसी भी स्तर पर अकेले या प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहा है।** चाहे प्रतिवादी या पीड़ित व्यक्ति का कोई उचित अधिकार हो और साझा परिवार में हित उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) (एफ) के तहत निवास आदेश प्राप्त करने का हकदार है। अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ता सं1 को पीड़ित व्यक्ति हेतु रु.4000/- प्रति माह वैकल्पिक आवास के किराए में रुप में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया।

13. अधिनियम की पूरी योजना पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवासीय आदेश, जिसे निचली अदालत द्वारा पारित किया गया था और अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी, किसी भी अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है।

14. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, तत्काल संशोधन में आंशिक रूप से अनुमति है।

15. उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत के आदेश को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, वैकल्पिक आवास के लिए मौद्रिक राहत के आदेश की पुष्टि की गई है।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

प्रवीणकुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।